

अध्याय-3

विनिर्माण क्षमता विस्तार के लिए नियोजन

3.1 भेल द्वारा नियोजन

भेल ने Xवीं योजना के दौरान विस्तारण के लिए, दिसम्बर 2007 में पूर्ण करने के लिए 18 योजनाओं, जिनमें 6,000 मे.वा. से 10,000 मे.वा. प्रति वर्ष (चरण-I) की उसकी निर्माण क्षमता का आधुनिकीकरण शामिल था, पर कार्य शुरू किया (2004-06)। अपनी विनिर्माण सुविधाओं और क्षमता संवर्धन की आवश्यकता को पहचानते हुए भेल ने Xवीं योजना की चल रही विस्तारण/आधुनिकीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद उपलब्ध क्षमता के पुनर्मूल्यांकन के लिए टास्क फोर्स¹¹ गठित की (जुलाई 2006) और XIवीं और XIIवीं योजनाओं की जरूरतों के अनुसार और अधिक क्षमता संवर्धन की सिफारिश की। टास्क फोर्स¹² की सिफारिशों के आधार पर, XIवीं योजना में प्रति वर्ष 10,000 मे.वा. से प्रति वर्ष 15,000 मे.वा. प्रति वर्ष (चरण-II) क्षमता वृद्धि के लिए 17 क्षमता संवर्धन योजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्टों को निदेशक मंडल (जनवरी 2007 और सितम्बर 2008 के बीच) द्वारा ₹ 3144.60 करोड़ की कुल लागत पर अनुमोदित किया गया था। योजनाओं को दिसम्बर 2009 तक लागू किया जाना था। XIIवीं योजना के लिए क्षमता विस्तारण के संबंध में निदेशक मंडल ने, यूनियों से प्राप्त व्यवहार्यता रिपोर्टों के आधार पर ₹ 1592.81 करोड़ की कुल लागत से 5000 मे.वा. (अर्थात् जैसा कि भेल द्वारा चरण-III में संदर्भित प्रति वर्ष 15,000 मे. वा. की संस्थापित क्षमता को प्रति वर्ष 20,000 मे. वा. करने) की पाँच क्षमता विस्तारण योजनाओं का अनुमोदन दिया (जून 2009) जिन्हें दिसम्बर 2011 तक कार्यान्वित किया जाना था। भेल द्वारा चरण-II और चरण-III की क्षमता विस्तार योजनाओं को क्रमशः मार्च 2011 और मार्च 2012 तक पूर्ण घोषित कर दिया गया था। इन योजनाओं पर भेल द्वारा अपने आन्तरिक संसाधनों से व्यय वित्तपोषित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने भेल द्वारा क्षमता विस्तारण के नियोजन के संबंध में निम्नलिखित पाया:

(i) XIवीं और XIIवीं योजनाओं में क्षमता विस्तारण के लिए तत्परता की पर्याप्तता

Xवीं योजना (2002-07) में देश में 41,110 मे. वा. की विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि की परिकल्पना की गई थी।

भेल ने 2004-06 के दौरान दिसम्बर 2007 तक पूरा करने के लिए Xवीं योजना में प्रति वर्ष 6,300 मे.वा. से प्रति वर्ष 10,000 मे.वा. (चरण-I) की विनिर्माण क्षमता वृद्धि की योजना बनाई थी। इस क्षमता वृद्धि को दिसम्बर 2007 में पूर्ण घोषित किया गया था।

¹¹ टास्क फोर्स में एचडपी-भोपाल, एचपीडपी-हैदराबाद, एचपीवीपी-त्रिची, टीपी-झांसी, बीएपी-रानीपेट, इडीएन-बेंगलोर, मार्केटिंग विंग (विद्युत क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और अन्तरराष्ट्रीय परिचालन) और कॉरपोरेट कार्यालय के 10 एजीएम/व.डीजीएम सम्मिलित थे। जीएम एचईईपी-हरिद्वार इसके अध्यक्ष थे।

¹² जून 2008 में अन्य समिति द्वारा पुनरीक्षित।

यद्यपि, सीईए ने नवम्बर 2003 में ही XIवीं योजना के लिए 67,439 मे.वा. की विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि की पहचान की थी मगर भेल ने जुलाई 2006 में टास्क फोर्स का गठन किया गया था। भेल ने जनवरी 2007 से सितम्बर 2008 के दौरान प्रति वर्ष 10,000 मे.वा. से 15,000 मे.वा. (चरण-II) तक विनिर्माण क्षमता वृद्धि का निर्णय लिया जिसे दिसम्बर 2009 तक पूरा किया जाना था। भेल ने मार्च 2011 में चरण-II के क्षमता वृद्धि कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की।

इस प्रकार, विनिर्माण क्षमता विस्तार, जिसे XIवीं योजना के प्रारंभिक वर्षों में नियोजित और पूर्ण करने की आवश्यकता थी, को भेल द्वारा योजना के अन्त तक पूर्ण घोषित किया गया था। सीईए और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा XIवीं योजना की नीति पर तैयार (अगस्त 2007) एक "श्वेत पत्र" में कहा गया कि Xवीं योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि के 47.6 प्रतिशत पर 'थर्मल पावर' खंड के निराशाजनक प्रदर्शन का मुख्य कारण यह था कि कोयला आधारित अधिकतर बैकअप परियोजनाएं विद्युत उपस्कर विनिर्माताओं, विशेष रूप से भेल की ओर से आपूर्ति बाधाओं के कारण फलीभूत नहीं हुई थी। 'श्वेत पत्र' में मौजूदा स्वदेशी विनिर्माण सुविधाओं के संवर्धन की और मुख्य संयंत्र उपस्करों के लिए नए उद्यमों द्वारा अतिरिक्त क्षमता के निर्माण की सिफारिश की गई थी। XIवीं योजना के लिए योजना आयोग द्वारा गठित विद्युत पर वर्किंग ग्रुप में भी बताया गया था (फरवरी 2007) कि एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा की जाने वाली प्रत्येक 660 मे.वा. की छः यूनिटों के विनिर्माण के लिए भेल द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी में विलम्ब हुआ था। इसके परिणामस्वरूप जैसा कि वास्तव में परिकल्पित किया गया था Xवीं योजना में इन परियोजनाओं को संस्थापित नहीं किया जा सका।

भेल की मांग बुकिंग स्थिति की तुलना में मांगो को पूरा करने की उपलब्ध विनिर्माण क्षमता को तालिका 5 में सारबद्ध किया गया है। इससे पता चलेगा कि भेल के पास 2007-11 के दौरान उपलब्ध मांग और बुकिंग करने की पर्याप्त क्षमता नहीं थी।

तालिका 5

वर्ष	बुक की गई मांग	उपलब्ध विनिर्माण क्षमता	उपलब्ध क्षमता से अधिक बुक की गई मांग
	मे.वा. में	मे.वा. में	मे.वा. में
2007-08	16,639	9,675	6,964
2008-09	19,545	10,632	8,913
2009-10	20,949	10,632	10,317
2010-11	18,367	15,490	2,877
2011-12	3,934	15,490	(-)11,556

भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय ने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बड़ी विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत उपस्करों की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए विद्युत परियोजनाओं के प्रतिस्पर्धात्मक बोली आधारित टैरिफ पर सीपीएसइज को 15 प्रतिशत कीमत प्राथमिकता समाप्त (अक्टूबर 2009) कर दी। यह मई 1999 तक बड़ी विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत उपस्करों की आपूर्ति पर 'शून्य' सीमा

शुल्क के प्रोत्साहन के अतिरिक्त था। इसके साथ साथ योजना आयोग द्वारा 'शून्य' सीमा शुल्क और सीपीएसयूज को 15 प्रतिशत कीमत वरीयता की वापसी जैसे घटकों को ध्यान में रखते हुए विद्युत विनिर्माताओं द्वारा नुकसान पर ध्यान देने के लिए विकल्पों और तौर तरीकों की जाँच और सुझाव के लिए श्री अरूण मायरा, सदस्य (उद्योग), योजना आयोग (मायरा समिति) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था (अक्टूबर 2009)। मायरा समिति ने अपनी रिपोर्ट (फरवरी 2010) में कहा कि घरेलू विनिर्माताओं ने बिक्री कर/वैट (5 से 6 प्रतिशत), उच्च वित्तीय लागत (2.4 से 3.2 प्रतिशत), विदेशी प्रतिस्पर्धियों की आपूर्तियों पर कम सीमा शुल्क (5 प्रतिशत) और गुणवत्ता अवसंरचना की कमी और महत्वपूर्ण कच्चे माल और घटकों के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भरता के कारण लगभग 14 प्रतिशत तक का नुकसान उठाया। भेल द्वारा की गई पहलों और मायरा समिति की रिपोर्टों पर सचिव समिति में विचार विमर्श के आधार पर सितम्बर 2012 से बड़ी विद्युत परियोजनाओं के साथ साथ अन्य विद्युत परियोजनाओं के लिए आयातित विद्युत उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क 5 प्रतिशत, प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) 12 प्रतिशत और विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) 4 प्रतिशत लगाया गया था। मायरा समिति की सिफरिशों पर भारत सरकार द्वारा किए गए इन नए उपायों के परिणाम अभी देखने बाकी हैं। इस प्रकार, भेल की ओर से सीईए द्वारा विशिष्ट आपूर्ति बाधाओं को पहचानने और बदले हुए कारोबारी माहौल, जिसमें बाजार में निजी उद्यमों का आगमन आसान हो गया, भेल को क्षमता संवर्धन के लिए XIवीं योजना की अपनी तैयारी पर समय से पुनर्विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भेल अपने प्रतिस्पर्धियों से (i) अति महत्वपूर्ण विद्युत उपकरणों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी की अधिप्राप्ति में विलम्ब (ii) वितरण बाधाओं और (iii) उच्च विनिर्माण लागत के कारण भी पिछड़ा हुआ था जैसा कि अध्याय 5 और 6 में चर्चा की गई है।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2013/सितम्बर 2013) कि:

- सरकार द्वारा XIवीं योजना पर 2007 में मजबूती दिखाई गई जबकि कुछ प्रारंभिक संकेत नवम्बर 2003 में उपलब्ध हो सकते थे। भेल द्वारा विनिर्माण क्षमता विस्तारण के लिए निर्णय निश्चित नीतिगत पहलों और व्यापार संवर्धन में दीर्घकालिक आधार पर भविष्य के अवसरों के लिए पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने के तर्कसंगत संकेत दिखने के बाद ही लिया गया था।
- एक विद्युत परियोजना में भेल का कार्यक्षेत्र केवल 45 प्रतिशत है क्योंकि मुख्य रूप से यह बायलर-टर्बाइन-जेनरेटर (बीटीजी) की आपूर्ति करता है जैसा कि विद्युत उत्पादन सुविधाओं द्वारा मांग की जाती है। अन्य 55 प्रतिशत बैलंस आफ प्लांट (बीओपी) के कारण होता है जैसे राख संभलाई, कोयला संभलाई संयंत्र इत्यादि और सिविल कार्य जोकि परियोजना के विकास या अन्य क्षेत्र में हों। 55 प्रतिशत खंड में विलम्ब के लिए भी हमेशा भेल को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

- 2007-2008 से इस देश में अतिरिक्त विनिर्माण आधार बनाने के लिए अन्य निजी क्षेत्र के संगठनों ने संयुक्त उद्यमों के गठन की घोषणा की थी, जैसे एल्सटाम-भारत फोर्ज, एल एण्डटी-एमएचआई, जेएसडब्ल्यू-तोशिबा इत्यादि। घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को कीमत प्राथमिकता दिसम्बर 2009 तक उपलब्ध थी। ऐसे लाभों के बावजूद, अन्य घरेलू आपूर्तिकर्ताओं ने 'इंतजार करो और देखो' दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी क्योंकि पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं थे। केवल भेल ने देश की अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्षमता वृद्धि की पहल की।
- मायरा समिति ने निष्कर्ष निकाला कि आयात की तुलना में घरेलू उद्योग को 14 प्रतिशत की हानि का सामना करना पड़ रहा है। सचिव समिति ने 5 प्रतिशत के मूल सीमा शुल्क, 12 प्रतिशत के प्रतिकारी शुल्क और 4 प्रतिशत के विशेष अतिरिक्त शुल्क की सिफारिश की थी। सिफारिश सितम्बर 2012 में ही लागू की गई थी। विद्युत उपस्करों पर सरकार द्वारा जो सीमा शुल्क दिसम्बर 2009 में, कीमत प्राथमिकता की वापसी के साथ लगाया जाना था, वास्तव में सितम्बर 2012 में लगाया लगा था, जिस अवधि के दौरान भेल द्वारा हानि का सामना करने के कारण अधिकतर कारोबार विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के पास चला गया था। इसके अतिरिक्त मायरा समिति ने 10 प्रतिशत के मूल सीमा शुल्क, शून्य सीवीडी और 4 प्रतिशत के एसएडी की सिफारिश की थी। इसलिए, सितम्बर 2012 में 5 प्रतिशत सीमा शुल्क, 12 प्रतिशत सीवीडी और 4 प्रतिशत एसएडी लगाने के बाद भी हानि जारी रही और मामला मंत्रालय के साथ उठाया गया था।

जबकि प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई गणना से पता चला कि उच्च वित्तपोषण लागत (2.4 प्रतिशत) और बिक्री कर (5 प्रतिशत) पर विचार करने के बाद घरेलू निर्माताओं को समग्र हानि होने की संभावना थी, प्रबंधन के उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के प्रति देखा जा रहा है:

- जब मामले की चर्चा दूसरी एग्जिट कान्फ्रेंस (सितम्बर 2013) में की गई तो लेखापरीक्षा को निश्चित नीतिगत पहलों के विशिष्ट विवरणों और देश में व्यापार बढ़ाने के तर्कसंगत संकेतों जिन पर भेल द्वारा क्षमता विस्तारण योजनाओं की सामयिकता का निर्णय लेने के लिए विचार किया गया था, उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। यह मानने के लिए यथोचित है कि व्यावसायिक दृष्टिकोण क्षमता वृद्धि आवश्यकता की मांग करेगा जिसे जल्द से जल्द पहचाना जाना चाहिए जिससे अस्थायी XIवीं योजना के लक्ष्यों के साथ आसानी से समरूपता सुनिश्चित की जा सके जो उपलब्ध थे और जिनका नवम्बर 2003 में ही पता था।
- यह निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भेल द्वारा निर्मित और वितरित किए जाने वाले विद्युत उपस्करों (बायलर-टरबाइन-जेनरेटर) के संवर्धन की क्षमता के लिए योजना की पर्याप्तता से संबंधित है जोकि सामान्यतया परियोजना के कुल कार्यक्षेत्र के बताए गए 45 प्रतिशत के

बीच कवर किया जाता है और भेल के नियंत्रणधीन है। लेखापरीक्षा ने भेल द्वारा उपकरणों की सुपुर्दगी में विलम्ब पाया जोकि उसके कार्यक्षेत्र के भीतर था जैसाकि अनुवर्ती पैरा 6.1 में चर्चा की गई है।

(ii) आवश्यकता की तुलना में अत्यधिक क्षमता की योजना

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारित लक्ष्यों पर विचार के बाद भी भेल ने अपनी निर्माण करने की क्षमता (विशेष रूप से XII योजना के लिए थर्मल क्षेत्र में) की योजना प्रत्यायोजित बाजार अंश से अधिक थी जैसाकि तालिका 6 में दर्शाया गया है:

तालिका 6

(मे.वा. में आंकड़े)

क्षमता संवर्धन की श्रेणी	उपयोगिता खंड के अनुसार देश की विद्युत उपस्कर निर्माण क्षमता की आवश्यकता		टास्क फोर्स/समिति के अनुमान के आधार पर निर्माण क्षमता के उपयोग का भेल का प्रत्याशित बाजार अंश			उपयोगिता खंड ¹³ के लिए भेल द्वारा नियोजित निर्माण क्षमता		भेल द्वारा नियोजित अधिक निर्माण क्षमता	
	XI योजना	XII योजना	प्रतिशतता	XI योजना	XII योजना	XI योजना	XII योजना	XI योजना	XII योजना
थर्मल	46,114	44,500	78	35,969	34,710	36,469	62,898	500	28,188
हाइड्रो	17,189	30,000	51	8,766	15,300	11,250	11,250	2,484	(-) 4,050
न्यूक्लियर	3,160	12,000	50	1,580	6,000	2,508	3,150	928	(-) 2850
कुल	66,463	86,500		46,315	56,010	50,227¹⁴	77,298¹⁵	3,912	21,288

इस प्रकार, भेल द्वारा नियोजित थर्मल पावर उपकरणों के लिए निर्माण क्षमता का कम उपयोग होगा क्योंकि भेल की 62,898 मे.वा. की उत्पादन क्षमता के प्रति XIIवीं योजना के दौरान देश की आवश्यकता 44,500 मे.वा. के आसपास होगी। लेखापरीक्षा ने पाया की भेल द्वारा नियोजित क्षमता संवर्धन थर्मल क्षेत्र में अपने 78 प्रतिशत के मौजूदा बाजार अंश को बनाए रखने के पूर्वानुमान पर आधारित थी। निजी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों में अतिरिक्त क्षमता से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद इस महत्वपूर्ण अवधारणा के आधार का क्षमता संवर्धन के प्रस्तावों में संकेत नहीं था।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2013) कि भेल ने सफलतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलियों का सामना किया और अतीत में 78 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी जुटाने में क्षमता प्रदर्शन किया था।

¹³ (i) कैप्टिव विद्युत संयंत्रों (ii) अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन और (iii) नवीकरण और आधुनिकिकरण/मांगो के एकत्रण के लिए क्षमता छोड़ने के बाद।

¹⁴ 2007-08 से 2009-10 को ध्यान में रखते हुए 10,415 मे.वा. की मौजूदा क्षमता परिकलित और 2010-11 से 2011-12 को ध्यान में रखते हुए क्षमता को 15,500 मे.वा. तक बढ़ाने के आधार पर जैसा कि टास्क फोर्स द्वारा सिफारिश की गई थी (मार्च 2007) अर्थात् $(10415 \times 3 + 13950)$ (15,500 मे.वा. का 90%)*2

¹⁵ XIIवीं योजना $(90\% \times 20,215) \times 5$ के लिए टास्क फोर्स द्वारा सिफारिश (जून 2008) की गई क्षमता के आधार पर परिकलित।

तथापि, अधिशेष क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए योजना, यदि कोई हो तो, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

(iii) अत्यधिक महत्वपूर्ण खण्ड में नियोजित अपर्याप्त क्षमता संवर्धन

सीईए ने विभिन्न तकनीकी आर्थिक कारकों पर आधारित थर्मल यूनिटों के सर्वोत्कृष्ट आकार पर निर्णय लेने के लिए सितम्बर 2001 में एक समिति का गठन किया। अन्य बातों के साथ साथ समिति में सीईए, योजना आयोग, भेल, एनटीपीसी के प्रतिनिधि शामिल थे और राज्य विद्युत बोर्ड ने यह सिफारिश की (नवम्बर 2003) कि 800 मेगावाट से 1000 मेगावाट उच्च यूनिट आकार को देश में अधिकतम दक्षता लाभ प्राप्त करने के लिए विशेष स्थान तकनीकी अर्थशास्त्र पर आधारित अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी¹⁶ के साथ अपनाया जाना चाहिए। XIवीं योजना में योजना आयोग ने देश के लिए 46,114 मे.वा की कुल थर्मल सृजन क्षमता संवर्धन में से अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के माध्यम से 8200 मे.वा. सृजन क्षमता संवर्धन की परिकल्पना की।

अगले कुछ वर्षों में अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर देते हुए, भेल के लिए महत्वपूर्ण खंड में दक्षता विस्तार के अनुरूप योजना बनाना जरूरी हो गया था। तथापि, भेल द्वारा नियोजित क्षमता निर्माण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण¹⁷ खंडों की तुलना में XIवीं और XIIवीं योजना की आवश्यकता तालिका 7 के अनुसार थी।

तालिका 7

(मे.वा. में आंकड़े)

थर्मल खंड में अतिरिक्त क्षमता की श्रेणी	के अनुसार देश की क्षमता निर्माण आवश्यकता ¹⁸		भेल द्वारा नियोजित निर्माण क्षमता और विस्तारण योजनाओं के माध्यम से लागू	
	XIयोजना	XIIयोजना	XI योजना ¹⁹	XII योजना ²⁰
अत्यधिक महत्वपूर्ण	8,200	31,860	5280	18,000
कम महत्वपूर्ण	37,914	12,640	31,189	44,898
कुल	46,114	44,500	36,469	62,898

अत्यधिक महत्वपूर्ण खंड के लिए थर्मल वर्ग के अन्तर्गत नियोजित निर्माण क्षमता दोनों योजनाओं के अन्तर्गत आवश्यकता से कम रही जबकि XIIवीं योजना के दौरान कम महत्वपूर्ण खंड के अन्तर्गत क्षमता अधिक नियोजित की गई थी।

¹⁶ अत्यधिक महत्वपूर्ण तकनीक का अर्थ है मुख्य स्टीम प्रेशर 247 कि.ग्रा/स्वे.सें., मुख्य स्टीम तापमान 535 डिग्री सेल्सियस और रीहीट स्टीम तापमान 565 डि. सेल्सियस के साथ स्टीम टरबाइन इनलेट पर न्यूनतम स्टीम पैरामीटर के साथ तकनीक

¹⁷ अत्यधिक महत्वपूर्ण तकनीक का अर्थ है 235° से. से 250° से. के साथ स्टीम तापमान।

¹⁸ विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए उपस्कर और सामग्री की आवश्यकता-केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण योजना विंग नई दिल्ली द्वारा XIवीं और XIIवीं जनरेशन और ट्रांसमिशन परियोजना, नवम्बर 2006।

¹⁹ टास्क फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार - मार्च 2007।

²⁰ समिति की रिपोर्ट के अनुसार - जून 2008।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2013/सितम्बर 2013) कि:

(क) भेल ने एक विशेष उत्पाद मिश्रण के लिए योजना बनाई थी जिनमें भिन्न रेटिंग के दोनों अत्यधिक महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण थर्मल, गैस, न्यूक्लियर और हाइड्रो सेटों को कवर किया गया था।

(ख) हालांकि, सीईए ने संकेत दिया था कि XIIIवीं योजना से सभी थर्मल सेट अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पर आधारित होने चाहिए, सीमित आवश्यकता वाले कई छोटे विकास केप्टिव पावर संयंत्रों और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों के ग्राहक भी कम महत्वपूर्ण रेंज में कम क्षमता के सेटों को चुनते रहेंगे।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा गया कि नई मशीनों को बड़े आकार के अत्यधिक महत्वपूर्ण सेटों के लिए प्रयोग करने और भेल के पास 800 मे.वा. टरबाइन जेनरेटर के लिए टेस्ट बेड था जिसमें प्रति वर्ष 660/800 मे.वा. टरबाइन जेनरेटर के 12 अत्यधिक महत्वपूर्ण सेटों की आवश्यकता पूरी करने की क्षमता थी।

उत्तर इन तथ्यों के प्रति देखा जाए कि

(क) कम महत्वपूर्ण और अत्यधिक महत्वपूर्ण उपस्करों के निर्माण के लिए भेल द्वारा अपनाया गया उपलब्ध उत्पाद मिश्रण योजना के अनुमानों के अनुसार नहीं था और तदनुसार इसके परिणामस्वरूप आवश्यकताओं की तुलना में अत्यधिक महत्वपूर्ण खंड में कम क्षमता निर्माण हुआ। यह 2008-12 के दौरान भेल द्वारा बुक किए गए वास्तविक आदेशों की तुलना में इसकी निर्माण क्षमता और अन्य प्रतिस्पर्धियों द्वारा बुक किए गए मांग आदेशों से स्पष्ट है, जैसा कि तालिका 8 में तालिकाबद्ध है।

तालिका 8

(मे.वा. में)

वर्ष	अत्यधिक महत्वपूर्ण खंड में भेल की उपलब्ध निर्माण क्षमता	भेल द्वारा बुक किए गए अत्यधिक महत्वपूर्ण उपकरणों के आदेश	अन्य प्रतिस्पर्धियों द्वारा बुक किए गए अत्यधिक महत्वपूर्ण उपकरणों के आदेश
2008-09	880	1320	6880
2009-10	880	1980	9290
2010-11	1760	6400	15180
2011-12	1760	1320	4380
कुल	5280	11020	35730

इस प्रकार XIवीं योजना के दौरान कम्पनी में वास्तविक उपलब्ध निर्माण क्षमता बाजार में दिए गए आदेशों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी।

(ख) सीईए द्वारा बड़े विद्युत उत्पादन सेटों के प्रयोग पर उत्तरोत्तर वृद्धि के जोर और XIIIवीं योजना से केवल अत्यधिक महत्वपूर्ण सेटों द्वारा क्षमता वृद्धि की पूर्व योजना के साथ, यह स्पष्ट नहीं था कि प्रबंधन ने स्वयं को कैसे आश्वस्त किया कि छोटे निर्माता भेल की कम महत्वपूर्ण उपस्कर विनिर्माण क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए पर्याप्त कारोबार प्रदान करने में सक्षम हो जाएंगे।

विश्लेषण/अध्ययन के अनुरोध के एक विशिष्ट लेखापरीक्षा प्रश्न (5 जून 2013) के उत्तर में इस धारणा को आधार बनाते हुए, यदि कोई हो तो, प्रबंधन ने कम महत्वपूर्ण उपस्करों का प्रयोग करने वाले विभिन्न प्रकार के संयंत्रों पर एक सामान्य प्रतिक्रिया प्रेषित की (सितम्बर 2013)। ऐसे संयंत्रों के संभावित इनफ्लो तरीके के संबंध में जो सृजित क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करे उत्तर किसी विशिष्ट डाटा द्वारा समर्थित नहीं था।

(ग) जब लेखापरीक्षा द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण उपस्करों के निर्माण के लिए कम महत्वपूर्ण उपस्कर निर्माण मशीनों के वास्तविक उपयोग का विवरण माँगा गया (6 मई 2013) तो प्रबंधन द्वारा (सितम्बर 2013) त्रिची यूनिट की दो बायलर विनिर्माण मशीनों के संबंध में विवरण प्रदान किया गया था। तथापि, अन्य उत्पादों जैसे टरबाइन और जेनरेटर के संबंध में द्वितीय एग्जिट कान्फ्रेंस (सितम्बर 2013) में प्रबंधन ने मशीनों की अन्तः-प्रयोज्यता की रिकार्डिंग/कैपचरिंग डाटा पर जरूरत और अधिक गुंजाइश पर सहमति व्यक्त की थी।